:प्रेस नोट दिनांक 20-02-2021:-

थाना उझानी पुलिस द्वारा किया गया चोरी की घटना का सफल अनावरण, लूट/चोरी की घटना करने में प्रयोग किये जाने वाले सामान व चोरी किये गये 3,00,000/- रुपये समेत कुल 04 अभि0गण गिरफ्तार ।

वादी राधेश्याम पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम वोंदरी थाना कादरचौक जनपद बदायूं ने थाना उझानी पर तहरीर दी कि दिनांक 16.02.2021 को मै अपना के0सी0सी0 लोन जमा करने गया था इस दौरान प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक उझानी से अज्ञात चोरों द्वारा मेरा बैग जिसमें तीन लाख रुपये थे चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना उझानी पर मु0अ0सं0 62/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

अभियोग का सफल अनवारण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर / क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक थाना उझानी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के द्वारा आज दिनांक 20/02/2021 को अभि0गण 1. अजीत उर्फ बउआ पुत्र हरवीर सिंह यादव, 2. प्रद्युम्न सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह यादव, 3. प्रदीप कुमार पुत्र भगवान सिंह यादव नि0गण ग्राम बोंदरी थाना कादरचौक जनपद बदायूं तथा 4. विवेक सक्सेना पुत्र नरेश सक्सेना निवासी सकुटिया थाना उझानी जनपद बदायूं को लूट की योजना बनाते समय लूट/चोरी की घटना करने में प्रयोग किये जाने वाले सामान सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभि0गण के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व दो कारतूस, एक चाकू, एक नुकीली लोहे की सरिया, रस्सी, टार्च तथा बैंक मे हुई चोरी की घटना में चुराये गये तीन लाख रुपये बरामद किये गए । उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 62/21 मे 411 भादवि की बढोतरी की गयी । गिरफ्तार अभि0गण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम पता-

1. अजीत उर्फ बउआ पुत्र हरवीर सिंह यादव,
2. प्रद्युम्न सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह यादव,
3. प्रदीप कुमार पुत्र भगवान सिंह यादव नि0गण ग्राम बोंदरी थाना कादरचौक जनपद बदायूं तथा
4. विवेक सक्सेना पुत्र नरेश सक्सेना निवासी सकुटिया थाना उझानी जनपद बदायूं ।

आपराधिक इतिहास अजीत उर्फ बउआ उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 62/21 धारा 379/411 भादवि,

2. मु0अ0सं0 64/21 धारा 401 भादवि,

3. मु0अ0सं0 65/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।

आपराधिक इतिहास प्रद्युम्न सिंह उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 62/21 धारा 379/411 भादवि,

2. मु0अ0सं0 64/21 धारा 401 भादवि,

3. मु0अ0सं0 66/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट ।

आपराधिक इतिहास प्रदीप कुमार उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 62/21 धारा 379/411 भादवि,

2. मु0अ0सं0 64/21 धारा 401 भादवि ।

आपराधिक इतिहास विवेक सक्सेना उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 62/21 धारा 379/411 भादवि,

2. मु0अ0सं0 64/21 धारा 401 भादवि ।

विवरण बरामदगी– 1. 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) 2. एक तमंचा मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर, 3. एक नाजायज चाकू, 4. एक नुकीला सरिया, 5. एक रस्सी जिसकी लम्बाई करीब 27 फीट, 6. एक टॉर्च

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- 1. उ0नि0 शिवेन्द्र सिंह, 2. उ0नि0 महावीर सिंह, 3. कां0 1334 प्रवीन कुमार, 4. कां0 1953 मुकुल गिरी, 5. कां0 1321 धर्मेन्द्र सिंह, 6. कां0 570 मनवीर सिंह थाना उझानी जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद बदायूं ।